उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

[illegible] वनाधिकार मान्यता अधिनियम के अन्तर्गत [illegible] व वर्तमान में अनाज दिलाया गया है। अतः अनाज दिलाने के पश्चात [illegible] समय तक हाजिर नहीं होने पर वाद पत्रावली [illegible] अग्रिम राजस्व [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय फोलम [illegible] नहीं है बस है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ